20/07/2021

20/7/2021

पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित।
प्रकरण में वादी अधिवक्ता द्वारा विड्रो का
प्रा.पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि
पक्षकारान के मध्य आपसी राजीनामा हो गया है,
अब उक्त प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नही
चाहते है। वादी अधिवक्ता को सुना गया।
पत्रावली का अवलोकन किया गया।
वादिगण एवं वादी अधिवक्ता द्वारा पत्रावली
पर हस्ताक्षर अंकित कर वादिगण का "ID Proof"
पत्रावली संलग्न किया गया। अतः वादी का
विड्रो प्रा.पत्र स्वीकार किया जाता है।
वादिगण द्वारा कार्यवाही आगे नही चाहा
जाने से उक्त प्रकरण में कार्यवाही इस
स्तर पर समाप्त की जाती है।
प्रकरण कॉस्ट सुमार होकर नस्ती से
कम हो।

अमरनाथ

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)

Signature Not Verified
Digitally signed by Aparna Gupta
Date: 2022.01.05 15:37:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner